2/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी डॉ. गुंजन सोनी आर.ए.एस.)

अपील प्र0 सं0 21/2018

1. लेखराम पुत्र श्री सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी धानसिया तहसील नोहर

– अपीलांट

बनाम्

1. तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. मैनेजर एस.बी.बी.जे. (एस.बी.आई.) बैंक शाखा गोरखाना तहसील नोहर।

–असल रेस्पो0

3. शंकरलाल पुत्र श्री सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी धानसिया तहसील नोहर।

– तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध नामान्तरण स0 1761 दिनांक : 26.03.2012 बअदालत तहसीलदार राजस्व नोहर जिसकी रूहं से रहननामा के मुताबिक नामान्तरण स्वीकृत किया गया को अपास्त किये जाने हेतु –

उपस्थितिः– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता, अपीलांट

निर्णय दिनांक : 16.07.2021

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अपीलान्ट की ओर से निम्न प्रकार से हैः–

1. अपीलाधीन नामान्तरण स0 1761 दिनांक 26.03.2012 बअदालत तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा विधि की अवहेलना में बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के पारित किया गया है जो अपास्तनीय है।
2. रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता सं. 542 के खा0 न0 1157/2 की 28 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है। जिसके अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पो0 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। जिसमें अपीलांट का 14 बीघा 8.5 बिस्वा भूमि के खातेदार काश्तकार है। रेस्पो0 स0 2 से अपीलान्ट ने कृषि ऋण लेने के लिए कभी भी रेस्पो0

अतिरिक्त जिला कलक्टर (हनुमानगढ़)

2/2

स0 2 के समक्ष कोई आवेदन नही किया ना ही कोई नगद राशी प्राप्त की रेस्पो0 स0 2 ने रेस्पो0 स0 1 से मिली भगत कर अपीलाधीन नामान्तरण बिना किसी ऋण प्राप्त किये ही कर्ज किया गया है जो विधि के विपरित है तथा अपास्तनीय है।

3. अपीलांट ने रेस्पो0 स0 2 से किसी भी प्रकार से कोई ऋण नहीं प्राप्त किया तथा कृषि ऋण हेतु कोई खाता भी बैंक में नही है तथा अपीलांट रेस्पो0 स0 2 के पास अपना बचत खाता खुलवाने के लिए गया था तब रेस्पो0 स0 2 ने कई कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे। अपीलांट मात्र साक्षर है उसे पढ़ना लिखना नही आता है। अपीलांट द्वारा बिना कृषि ऋण उठायें ही रेस्पो0 स0 2 ने रेस्पो0 स0 1 के साथ मिलीभगत कर अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज कर तस्दीक कर दिया जो अपास्तनीय है।

4. अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज करने से अपीलांट के हक हकुक पर विपरित असर पड़ता है तथा बिना किसी ऋण उठायें उसकी भूमि को रहन रख दिया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है इसलिए प्रथम दृष्टया ही अपास्तनीय है।

5. अपीलांट कृषि पेशा व्यक्ति है तथा अपीलांट पढ़ा लिखा नहीं है तथा नामान्तरण स0 1761 स्वीकृत आदेश दिनांक 26.03.2012 को ज्ञान नही था तथा ना ही रेस्पो0 स0 1 ने इस बात की इतला दी जब अपीलांट अपनी भूमि को सुधार करने के लिए ऋण की आवश्यकता हुई तो वह पटवारी हल्का के पास दिनांक 24.05.2018 को गया तो उसे मालुम हुआ कि वादग्रस्त पूर्व से ही बैंक रहन है तब बिना किसी देरी के ज्ञान से अन्दर मियाद अपील अपीलांट पेश कर रहा है जो ज्ञान से अन्दर मियाद हैं।

अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरण स0 1761 दिनांक 26.03.2012 बअदालत तहसीलदार राजस्व नोहर अपास्त फरमाया जावें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की तलबी की गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में निवेदन किया की पत्रावली का निर्णय मैरिट के आधार पर कर दिया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड अनुसूची धारा 6(1) के घोषणा पत्र में लेखराम के हस्ताक्षर है व उप पंजीयक नोहर द्वारा धारा 6(1)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

पंजीबद्ध है एवं बंधक विलेख में भी लेखराम के हस्ताक्षर है। जो उप पंजीयक नोहर में पंजीबद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारीज कि जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर आज दिनांक 16.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गुंजन सोनी, आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)